न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 48/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. हिम्मतसिंह पुत्र दिलीपसिंह जाति राजपूत निवासी अगवरी		1 प्रहलादसिंह पुत्र विजयसिंह
2. भंवरकंवर पत्नी दिलीपसिंह जाति राजपूत निवासी अगवरी तहसील आहोर जिला जालोर		2 पारसकंवर पुत्री विजयसिंह
		3 तपस्याकंवर पुत्री विजयसिंह
		4 हाजरसिंह पुत्र थानाजी
		5 खेतपालसिंह पुत्र थानाजी के का0मु0
		5.1 गणपतसिंह पुत्र खेतपालसिंह
		5.2 शंकरसिंह पुत्र खेतपालसिंह
		5.3 पानीदेवी पत्नी खेतपालसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण अगवरी तहसील आहोर जिला जालोर
		6 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री पवन दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5.3
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12/11/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा पारित राजस्व वाद संख्या 52/2014 प्रहलादसिंह बनाम हाजरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जोडा के गत खसरा नम्बर 205 रकबा 55 बीघा 5 बिस्वा भूमि, जिसके नये खसरा नम्बर 340 रकबा 10.35 हैक्टेयर है, उक्त भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के वक्त विजयसिंह पुत्र मूलसिंह के कब्जे काश्त की भूमि थी, जिसे वक्त सेटलमेन्ट विजयसिंह द्वारा थाना पुत्र चैना दरोगा को एकसाला काश्त हेतु दी गई थी, जिसके कारण प्रथम जमाबन्दी में बतौर काश्तकार थाना का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। हालांकि एक वर्ष पश्चात उक्त भूमि पर पुनः विजयसिंह द्वारा काश्त की जा रही थी। रि–सेटलमेन्ट के दौरान विजयसिंह का काश्त होने के कारण जमाबन्दी सम्वत् 2040 से 2059 तक कि मिसल बन्दोबस्त में विजयसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को स्वयं की खरीदसुदा होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। जिस बेचाननामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, वह बेचान नामा बेनामी था। बेचानकर्ता थाना पुत्र चैना का मौके पर कभी कब्जा काश्त रहा ही नहीं एवं न ही उसके द्वारा खरीददार को कभी कब्जा सुपुर्द किया गया। मौके पर कब्जा नहीं होने के कारण उक्त भूमि का विक्रय विलेख के आधार पर भी नामान्तरकरण दायर नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की विधि विरूद्ध तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही की, जिसे अपास्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया, जिसकी सूचना अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता को प्रदान ही नहीं की गई। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में खातेदारी घोषणा की डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर ही नहीं दिया गया एवं न ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया तथा एकपक्षीय रूप से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खरीदसुदा भूमि है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की है। उक्त भूमि पूर्व में थाना पुत्र चैना दरोगा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जिस समय उक्त भूमि क्रय की, उस समय तहसील आहोर में द्वितीय सेटलमेन्ट की कार्यवाही आरम्भ हुई। उक्त समय त्रुटीवश खरीद दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज न कर पुनः विक्रेता थाना का ही नाम दर्ज कर दिया तथा थाना फौत होने पर उसके वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया, जो विधि विरूद्ध था। इसी प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खरीदसुदा भूमि का पर्चा लगान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता विजयसिंह पुत्र मूलसिंह के नाम जारी कर दिया, जबकि विजयसिंह का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं था। राजस्व अधिकारियों की त्रुटी से विजयसिंह का नाम दर्ज होने एवं विजयसिंह फौत होने पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया, जबकि वास्तविक रूप से उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खरीदसुदा आराजी है। इन समस्त तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखंते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा तथ्यों के विपरित जाते हुए अपील प्रस्तुत की है, जो सारहीन एवं बलहीन होनें से खारिज़ की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर जैर अपील विवादित आराजी अपनी खरीदसुदा होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को माफिक अनुतोष डिक्री कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी, जिसे अपास्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सक्षम कानून के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज़ करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकार द्वारा अपनी प्रतिरक्षा का अवसर चाहा जाता है, वहां न्यायालय को उदार रूख अपनाते हुए उसे प्रतिरक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए, जिससे पक्षकारान् के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का हनन न हो। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई विवेचन किए ही निरस्त कर दिया, उक्त आदेश विधि सम्मत नहीं है। इस दौरान अधीनस्थ न्यायालय को उदार रूख अपनाते हुए प्रकरण में पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विवाद बिन्दु कायम कर उन पर साक्ष्य संग्रहित कर उन साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना था, जो नहीं किया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा पारित राजस्व वाद संख्या 52/2014 प्रहलादसिंह बनाम हाजरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर, उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली